राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	212/2025	शिवराज बोरिवाल	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक एवं अति. निदेशक (प्रशासन), एवं पंचाचती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. नरेन्द्र कुमार डीगवाल, वंसत विहार कॉलोनी, अजीतगढ, सीकर, राज.।	श्री गजेन्द्र सिंह चौहान
2.	213/2025	नरेन्द्र कुमार डीगवाल	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक एवं अति. निदेशक (प्रशासन), एवं पंचाचती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. शिवराज बोरिवाल, गांव जगपुरा, तह. अंताली, भीलवाड़ा, राज.।	श्री के.पी. राज सिंह देवड़ा

आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थिति :–

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों मे अपीलार्थीगण का स्थानांतरण एक दूसरे के स्थान पर किया गया है। अर्थात् अपीलार्थी शिवराज बोरिवाल का स्थानांतरण सीएचसी आसीन्द भीलवाड़ा से पीएचसी टंटेरा, श्रीमाधोपुर, सीकर किया गया है एवं अपीलार्थी नरेन्द्र कुमार डीगवाल का स्थानांतरण पीएचसी टंटेरा, श्रीमाधोपुर, सीकर से सीएचसी आसीन्द भीलवाड़ा किया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 300 किमी. दूर किया गया है, जो बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थीगण के दूरस्थ स्थानांतरण से अपीलार्थीगण को विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को

यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्तागण के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीगण के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

6. मूल आदेश अपील संख्या 212/2025 में एवं छाया प्रति अपील संख्या 213/2025 में संलग्न की जायें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)